20रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES Rs.20

20रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES Rs.20

(69)

माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांकः ..../2018 निगरानी–2665/2018/गुना/भू.रा.

हाजी शेख निजामुददीन पुत्र शेख सलीमुददीन आयु लगभग 35 वर्ष, व्यवसाय कृषि निवासी– ग्राम दौराना तहसील राघौगढ जिला गुना म.प्र.

...............................पुनर्रीक्षणकर्ता

श्री मुकेश शर्मा ओके द्वारा आज दि. 1-5-18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 11-5-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट 1-5-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

इरशाददीन पुत्र शेख सलीमुददीन मसलमान आयु लगभग 32 वर्ष व्यवसाय कृषि, निवासी ग्राम दौराना तहसील राघौगढ जिला गुना म.प्र.

Noted
MSh
Date 11/05/18

...................प्रतिपुनर्रीक्षणकर्ता

पुनर्रीक्षण अन्तर्गत धारा 50भू राजस्व संहिता अनुविभागीय अधिकारी आरोन तहसील आरोन जिला गुना द्वारा प्रकरण क्रमांक 8 अपील वर्ष 2017 – 2018 में पारित अदेश दिनांक 11.04.2018 से व्यथित होकर यह पुनर्रीक्षण याचिका प्रस्तुत की जा रही है।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2665/2018/गुना/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9-8-2018	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 11-4-18 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा चतुर्थ अपर जिला न्यायाधीश, गुना के प्रकरण क्रमांक 21ए/2014 में व्यवहार न्यायालय द्वारा कोई निर्णय पारित नहीं किये जाने के कारण आवेदक की ओर से प्रस्तुत व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 11 एवं म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 32 का आवेदन पत्र निरस्त किया गया है । अनुविभागीय अधिकारी का उक्त निष्कर्ष उचित है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	